इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 9 अप्रैल 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------5
पण्य / जिंस बाज़ार ----------5
सूक्ष्मवित्त ----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार ----------5
विदेशी मुद्रा ----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षा : मार्च 2012

मौद्रिक और चलनिधि सम्बन्धी उपाय

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2012 से अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 5.5% से घटा कर 4.75% कर दिया। मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.75% पर अपरिवर्तित रहा।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 8.5% पर अपरिवर्तित रही।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति (revese) पुनर्खरीद दर 7.5% पर अपरिवर्तित रही।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MAF) दर और बैंक दर 9.5% पर कायम रही।

वृद्धि / मुद्रास्फीति के अनुमान

- 2011-12 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की (वर्षानुवर्ष) वृद्धि दूसरी तिमाही के 6.9% से घट कर 6.1% रह गई - जो औद्योगिक गतिविधि में मंदी का निरूपण करती है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) ने 2011-12 के पूरे वर्ष की वृद्धि के भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में यथा- प्रतिबिंबित औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित वृद्धि एक वर्ष पहले की इसी अवधि की 8.3% से घट कर 4.0% रह गई।
- अप्रैल-नवम्बर 2011 के दौरान 9% से अधिक के स्तर पर रहने के बाद, वर्षानुवर्ष शीर्षपंक्ति वाले थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति की दर दिसम्बर में घट कर 7.7% और फरवरी में बढ़ कर 7.0% होने से पहले जनवरी 2012 में और घट कर 6.6% रह गई।

- ईंधन समूह की मुद्रास्फीति दिसम्बर में 15.0% से घट कर फरवरी में 12.8% हो गई। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति दिसम्बर में 7.9% से घट कर फरवरी 2012 में 5.8% हो गई। जनवरी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 7.7% थी।

मुद्रा, ऋण एवं चलनिधि की स्थिति

वर्षानुवर्ष मुद्रा आपूर्ति (एम3) की वृद्धि और खाद्येतर ऋण वृद्धि में कमी हुई जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत प्राप्त होता है। चलनिधि की कठिन स्थिति का शमन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर 2011 से 9 मार्च 2012 की अवधि में कुल 1, 247 बिलियन रुपये के खुले बाज़ार के परिचालनों के माध्यम से अधिक टिकाऊ प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराया तथा लगभग 800 बिलियन रुपये की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराते हुए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 125 आधार अंकों की (28 जनवरी से 50 आधार अंक और 10 मार्च से 75 आधार अंक) की कमी कर दी।

बाहरी क्षेत्र

जबकि व्यापारिक निर्यात कीं वृद्धि में गिरावट आई, वहीं आयात वृद्धि में कमी कम मुखरित हुई , जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा व्यापक हुआ। तीसरी तिमाही की समीक्षा के बाद रुपया प्रति अमरीकी डालर 48.69 रुपये से 50.58 रुपये की श्रेणी में पहुंच गया।

मुख्य घटनाएं

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 16 मार्च, 2012 को संसद में प्रस्तुत किए गए संघीय बजट की कुछेक प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता को संरक्षित करने के लिए पूंजीकरण के लिए 15,888 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

- 10,000 रुपये तक के बचत बैंक ब्याज को कर से छूट दी गई है।

- वित्तीय समावेशन : जिन 73,000 अभिज्ञात बस्तियों को मार्च 2012 तक "स्वाभिमान" अभियान के अधीन लाया जाना था, उनमें से लगभग 70,000 बस्तियां उक्त अभियान में ला दी गई है। शेष के 31 मार्च 2012 तक ला दिये जाने की संभावना है।

- वृद्धि के लिए कृषि : कृषि ऋण के लक्ष्य बढ़ा कर 5,75,000 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं: कृषकों को अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 7% की दर पर ब्याजगत सरकारी अनुदान जारी रखा गया है; शीघ्रतापूर्वक चुकौती करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त 3%। कृषकों को ब्याजगत सरकारी अनुदान मिलना जारी रहेगा।
- सरकार एटीएमों में किसान क्रेडिट कार्डों के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगी।
- सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्वित्तीयन करने हेतु नाबार्ड को 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।
- सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपये की उद्यम निधि का गठन करेगी।
- पंजीकरण और आंकड़ों के रख-रखाव में विविधता से बचने के लिए वर्ष 2012-13 में एक केन्द्रीय "अपने ग्राहक को जानिए" सूचना संग्राहक (depository) का विकास किया जाएगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति, जो सही रही है, ने वृद्धि और उपभोग, दोनों ही को प्रभावित किया है।

नेट पर अधिकारी का नाम प्रदर्शित करें

बैंक - ग्राहकों के लिए शिकायत सम्बन्धी कार्यविधि को आसान बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को उनकी वेबसाइटों पर उनके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (CMD) अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) तथा उसके साथ ही क्रेडिट कार्डों, ऋणों एवं अग्रिमों, खुदरा बैंकिंग, वैयक्तिक बैंकिंग, ग्रामीण, कृषि बैंकिंग और लघु एवं मध्यम उद्यम बैंकिंग जैसे परिचालनों के लाइन कार्यात्मक प्रमुखों के नाम, पते. टेलीफोन संख्याएं और फैक्स संख्याएं प्रदर्शित करने का अनुदेश दिया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के परिचालनों के नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से लाइसेंस प्राप्त करने के छ: माह के भीतर परिचालन आरंभ कर देने के लिए कहा है - इसमें विफल रहने पर अनुमति स्वयमेव वापस हो जाएगी। कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी भारतीय रिज़र्व बैंक से सीओआर प्राप्त किए बिना परिचालन नहीं आरंभ कर सकती। इसके अलावा, कारबार आरंभ करने तथा उसके सीओआर के नियमानुकूलन से पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल -III मानदंडों से अधिक टियर-I पूंजी पर्याप्तता के पक्ष में

भारतीय बैंकों की सुदृढ़ वित्तीय प्रोफाइल को बनाए रखने में सहायता करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल -III ढांचे में प्रस्तावित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की तुलना में उच्चतर अनुपात निर्धारित किए जाने की आशा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्तावित किया था कि सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी बासेल -III मानदंडों द्वारा निर्धारित 4.5% की तुलना में जोखिम-भारित आस्तियों (RWA) की कम से कम 5% होनी चाहिए। अब, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम से कम 7% टियर-I पूंजी प्रस्तावित किया है तथा वह कम से कम 9% की कुल पूंजी रखी जाने के पक्ष में है। उसने पूंजी संरक्षण भण्डार अर्थात् जोखिम-भारित आस्तियों की 2.5% की सामान्य इक्विटी भी प्रस्तावित की है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई का नया ढांचा जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई का एक संशोधित ढांचा जारी कया है, जिसके द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति में गिरावट के प्रारंभिक चरण में बैंकों के प्रबन्धन द्वारा स्वत: सुधारात्मक कार्रवाई की परिकल्पना की गई है। उसके बावजूद, यदि उनकी स्थिति में तब भी सुधार नहीं होता, तो भारतीय रिज़र्व बैक हस्तक्षेप करेगा तथा वह जैसी आवश्यक समझे उस प्रकार की पर्यवेक्षी कार्रवाई करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में जहां गिरावट या चिंता का कारण मौजूद हो, अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को एक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करें। अगले चरण में किसी प्रकार की और गिरावट को रोकने के लिए पूर्व-क्रमिक कार्रवाई का समावेश होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों की वैश्विक बहियों पर निगरानी रखेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्र के बाहर वाली घटनाएं घरेलू कारबार को न अवरुद्ध करें, भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का, जैसा वह स्थानीय कारबार के मामले में करता है, निरीक्षण करेगा। इस निरीक्षण में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि कोई बैंक विनियामकों के मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन कर रहा है अथवा नहीं। इस निरीक्षण में बैंक ने जहां गलती की होगी उसका तथा उन मुद्दों को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका भी उल्लेख होगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थान पर स्थित भारतीय बैंक अनुपालन में किसी भी चूक को रोकने के लिए स्थानीय नियमों का पालन करें।

विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (FVCIs) गौण बाज़ार के माध्यम से प्रतिभूतियों में दखल दे सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (FVCIs) को गौण बाज़ार के माध्यम से तथा निजी व्यवस्था अथवा किसी अन्य पक्ष से खरीद के माध्यम से भी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस कार्रवाई से कतिपय उद्यम पूंजी निवेशकों को भारत के ऋण और इक्विटी बाज़ार में लाए जाने की आशा की जाती है। पात्र प्रतिभूतियों में इक्विटी, इक्विटी-सम्बद्ध लिखतों, ऋण और ऋण लिखतों, किसी घरेलू उद्यम पूंजी उपक्रम के डिबेंचरों अथवा उद्यम पूंजी निधि द्वारा गठित उद्यम पूंजी निधियों, योजनाओं / निधियों की यूनिटों का समावेश है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

खुदरा बिक्री केन्द्रों में कारबार संपर्कियों की अंतर-परिचालनीयता की अनुमति

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा बिक्री केन्द्रों में कारबार संपर्कियों (BCs) अथवा उप-एजेन्टों की अंतर-परिचालनयता की अनुमति देने का निर्णय किया है, बशर्ते बैंक के पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। जबकि कोई कारबार संपर्की कई एक बैंकों के लिए काम कर सकता है, वहीं ग्राहक अंतरापृष्ठ के स्थल, किसी खुदरा बिक्री केन्द्र पर अथवा किसी कारबार संपर्की के उप-एजेन्ट के रूप में केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंक और कारबार संपर्की के बीच संविदा के लिखित करार में शर्तों एवं निबन्धनों को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उसकी गहनतापूर्वक विधिक जांच की जानी चाहिए। बैंकों को जोखिमों का प्रबन्धन करने से सम्बन्धित अनुदेशों और उनके द्वारा वित्तीय सेवाओं का कार्य बाह्य स्रोत से करवाने के सम्बन्ध में आचरण संहिता का भी सख्ती से पालन करना चाहिए।

वैयक्तिक ऋण संवितरण में थोड़ी वृद्धि

वैयक्तिक ऋण संवितरण में दिसम्बर में 12.3% की तुलना में जनवरी 2012 में वर्षानुवर्ष आधार पर सीमांत रूप से वृद्धि परिलक्षित हुई तथा वह 12.7% के स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल 2012 - जब इस श्रेणी से सम्बन्धित ऋण वर्षानुवर्ष आधार पर 18% से अधिक बढ़े - से यह वृद्धि प्रत्येक बीते माह में अपेक्षाकृत कमतर रही। 10 महीनों में यह पहली बार है कि यह प्रवृत्ति विपरीत रही। उद्योगों और सेवाओं को संवितरित ऋणों में मासानुमास वृद्धि परिलक्षित होती थी। उद्योगों को बैंक ऋण में मामूली सी वृद्धि हुई, जिससे वे दिसम्बर के वर्षानुवर्ष 19.8% से बढ़ कर 20.2% हो गए, जबकि जनवरी में सेवा क्षेत्र को दी गई उधार राशि दिसम्बर के 14.9% के मुकाबले 15.5% रही। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र (CRE) को ऋण परिनियोजन दिसम्बर में 11.3% की तुलना में बढ़ कर 12.1% हो गया।

उधार में उछाल चिंता का विषय

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उसके बाज़ार से उधार में उछाल के परिणामस्वरूप प्रतिफल में कठोरता आ सकती है, जिससे सरकार को पूर्ववर्ती ऋणों पर ब्याज की अदायगी करने हेतु अधिक ऋण जुटाने पर विवश होना पड़ सकता है। वर्तमान में कुल सरकारी उधार वर्ष 2011-12 के लिए 5.1 लाख करोड़ रुपये हैं, जो 4.17 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से काफी अधिक है। बॉण्ड बाज़ार के विश्लेषको ने भय व्यक्त किया है कि जब तक कि सरकार राजकोषीय समेकन का मार्ग नहीं अपनाती तथा अपनी उधार राशियों में कमी नहीं करती, सरकारी बॉण्डों पर प्रतिफल स्थायी तौर पर बढ़ कर 9% के निकट पहुंच सकते हैं। यद्यपि, वर्ष 2011-12 के दौरान बढ़ी हुई उधार राशियां बाज़ार में व्यवधान डाले बिना ही ली गई थीं, तथापि परिमाण में आया यह उछाल चिंता का विषय है।

खाद्येतर ऋण में वृद्धि घट कर 15.3% हुई

24 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में खाद्येतर ऋण वृद्धि घट कर वर्षानुवर्ष आधार पर 15.3% हो गई, जिससे बकाया ऋण का स्तर 4, 324, 312 करोड़ रुपये हो गया। उधार दी गई रकम के 4, 49, 936 करोड़ रुपये होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में अब तक की ऋण वृद्धि 2010-11 में तदनुरूपी अवधि के समक्ष 11.61% रही है। नवम्बर 2011 से ऋण वृद्धि में मंदी आ गई है। 10 फरवरी 2012 को समाप्त पखवाड़े में यह वर्षानुवर्ष आधार पर 15.4% थी। ऋणों की मंद मांग से मंद आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। इसके अलावा बढ़ती अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि में बैंक थोड़े जोखिम विमुख हो गए हैं । खाद्येतर ऋण वृद्धि में दिसम्बर 2010 से कमी आ गई है।

बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की अतिरिक्त उधार सुविधा का लाभ उठाया

वर्षांत के लक्ष्यों और अग्रिम कर अदायगी के पहले आहरण से सम्बन्धित दबावों के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा 9.5% की दर से निधियां उधार लेने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) का उपयोग किया जा रहा है। अब तक बैंकों ने सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत 750 करोड़ रुपये उधार लिया है। सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की शुरूआत केवल उस समय उपयोग किए जाने हेतु की गई थी, जब बैंकों को 24% के न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) की अपेक्षा पूरी करने में कमी का सामना करना पड़े। किन्तु अब से कुछ समय पहले से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद सुविधा से प्रति दिन लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये निरंतर आधार पर उधार लेते आ रहे हैं। संशोधित कैलेंडर के अनुसार सरकार मार्च में 12,000 करोड़ रुपये उधार ले सकती है। इस वित्तीय वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब तक खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निषेचन किया है।

वित्त मंत्रालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंक में विलयित करने की ताक में

वित्त मंत्रालय 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को उनके प्रायोजक बैंकों में विलयित करने की ताक में है। प्रयोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबोधित हाल ही के इस आशय के एक पत्र में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों (वेतनमान I के अधिकारियों से लेकर वेतनमान IV मुख्य प्रबन्धक तक के) को उनके सम्बन्धित प्रायोजक बैंकों में तथा उसके विपरीत क्रम में प्रतिनियुक्त किया जाए, से यह पता चलता है कि एकीकरण की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय ने निदेश दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 20% अधिकारियों को उनके सम्बन्धित प्रायोजक बैंकों (मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) में प्रतिनयुिक्त किया जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन अधिकारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, के स्थान पर प्रायोजक बैंकों के अधिकारियों को लाया जाना होगा।

श्रेष्ठ प्रतिभूतियां : ऋण की कमतर मांग, वित्त वर्ष 12 में खुले बाज़ार के परिचालन मुक्तिदाता बने

पिछली निर्धारित नीलामी किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार की बाज़ार से उधार लेने की प्रक्रिया समाप्त हो गई होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के सक्रिय उपायों के कारण अपेक्षाकृत अधिक उधार लिए जाने के बावजूद बॉण्डों के प्रतिफल में नियमित रीति से बढ़ोत्तरी हुई। खुले बाज़ार के परिचालनों और ऋण की मांग के अभाव में बैंकों की निधियों के विपथन से बाज़ारों को इस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों की भारी मात्रा में आपूर्ति को अवशोषित करने में सहायता प्राप्त हुई। सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अब तक 73, 000 करोड़ रुपये उधार लिये हैं - जो पिछले वित्त वर्ष से 16.7% अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार के परिचालन वाली नीलामियों के माध्यम से 113, 949 करोड़ रुपये की अनिरुद्ध प्रतिभूतियां खरीदीं।

अल्पावधि जमा प्रमाणपत्र (CDs) की दर बढ़ कर 11.6% हुई

जमा प्रमाणपत्रों की दरों में 25-30 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी हुई, क्योंकि बैंकों ने परिपक्व होने वाले ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने, वर्षांत के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अग्रिम कर के भुगतान की अंतिम तिथि से पहले कम्पनियों से पड़ने वाले आहरण सम्बन्धी दबावों के लिए तैयार रहने के लिए आपा-धापी मचा दी। पारस्परिक निधियों - जो सामान्यतया बैंकों के अलावा प्रमुख निवेशक हुआ करती हैं, की ओर से सहभागिता के अभाव ने भी दरों में वृद्धि को सहायता प्राप्त हुई। तीन माह में परिपक्व होने वाले जमा प्रमाणपत्र 11.5 -11.6% की दर पर जारी किए गए, जबकि 6 माह में परिपक्व होने वाले जमा प्रमाणपत्र 11.1-11.2% की दर पर जारी किए गए। बैंकरों ने कहा कि इसके पूर्व जारी किए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये के मूल्य वाले जमा प्रमाणपत्र मार्च महीने में परिपक्वता के लिए तैयार पड़े हैं।

सरकार बैंकों में 15, 888 करोड़ रुपये की पूंजी लगाएगी

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में बैंकों में पूंजी लगाने के लिए 15,888 करोड़ रुपये की रकम अलग रख छोड़ी है। वह सार्वजननिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए पूंजी जुटाने हेतु एक वित्तीय नियंत्रक कम्पनी का गठन करने की तैयारी भी कर रही है। इस पूंजी निषेचन से सार्वजिक क्षेत्र के बैंक 8% की दर पर न्यूनतम टियर-I पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने तथा आगामी वित्तीय वर्ष में अपनी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता को पूरी करने में भी समर्थ होंगे। विनियामक पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा (CAR) 9% की समग्र पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा के साथ 6% है। प्रत्यक्ष रूप से यह निधि नियंत्रक कम्पनी द्वारा जुटाई जाएगी, जो बैंक में एक निवेशक होगी। सरकार बैंकों के प्रबन्धन पर नियंत्रण जारी रखेगी, जबकि बाहरी पूंजी नियंत्रक कम्पनी में लगाई जाएगी।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बैंकों में 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम लगाएगी

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 में सात बैंकों, यथा- भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूंजीकरण को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इन बैंकों को 8% के उनके पूंजी जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) को बनाए रखने में सहायता करने हेतु (सरकार से) कुल 12,000 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होगी। अब इस नये आबंटन के परिणामस्वरूप, बैंक उन्हें आबंटित रकम की सीमा तक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

व्यापारिक हानियों को सुरक्षित करने हेतु बैंकों को प्रतिभूतियों की कमी पड़ सकती है

बैंक परिपक्वता तक धारित (HTM) सीमा, जो उन्हें मार्क-टू -मार्केट हानियों से संरक्षित रखती है, समाप्त करने की कगार पर पहुंच गए हैं। वे सरकार के अधिक उधार लेने के कार्यक्रम में सहायता करने के लिए किसी प्रकार की छूट के लिए विनियामक से संपर्क कर सकते हैं। मानदंडों के अनुसार बैंक परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियां निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 25% तक रख सकते हैं। परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी के तहत धारित प्रतिभूतियां प्रतिफल में उतार-चढ़ावों से प्रतिरक्षित होती हैं और उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) पोर्टफोलियो के विपरीत मार्क-टू-मार्केट करना जरूरी नहीं होता। बताया जाता है कि कुछेक मझोले आकार वाले सरकारी बैंक 24% तक की उक्त प्रतिभूति समाप्त कर चुके हैं। बॉण्डों के बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) पोर्टफोलियो में रखे जाने पर बैंकों को व्यापारिक हानि वहन करनी होगी, क्योंकि वर्ष के दौरान प्रतिफल में वृद्धि होने की आशा है। इसके फलस्वरूप बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से परिपक्वता तक धारित (HTM) सीमा में वृद्धि की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक ऋणों से सम्बन्धित सीमा बढ़ाने की मांग

मैग्मा फिनकार्प के उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री संजय चमडिया का कहना है कि "गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु उन पर 5% की सीमा समाप्त कर दी जानी चाहिए। यह सीमा इस ऋण-वंचित खंड को ऋण प्रदान करने के आशय के प्रतिकूल प्रभाव वाली है। हालांकि, यदि विनियामक प्रणालीगत जोखिम के प्रति भयभीत हो, तो कम से कम इसे बढ़ाया जाना चाहिए।" वे यह भी कहते हैं कि इस बात को भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि "क्या इस सीमा में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा बेचे गए पोर्टफोलियो भी शामिल हैं। यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रति ऋण जोखिम (exposure) नहीं, अपितु उस अन्तर्निहित ग्राहक के प्रति है, जिसे मूल रूप से ऋण प्रदान किया गया है।"

विनियामकों के कथन

बैंकिंग संपर्की मॉडेल अब भी 'विकासात्मक चरण' में

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती का कहना है कि बैंक-रहित क्षेत्रो को सेवाएं प्रदान करने वाला बैंकिंग संपर्की मॉडेल अब भी 'विकासात्मक चरण' में है। उनका यह भी कहना है कि "हमें अब भी एक उपयुक्त सुपुर्दगी मॉडेल प्राप्त करना बाकी है।" वर्ष 2007 में जब इसकी शुरूआत हुई, तो केवल व्यक्तियों को ही बैंकिंग संपर्कियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता था तथा उनसे लाभ के लिए काम करने की उम्मीद नहीं की जाती थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान वृद्धि पर निरंतर केन्द्रित

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "जनवरी में हमारी पिछली नीतिगत समीक्षा के बाद से बढ़ती तेल की कीमतों के स्फीतिकारी जोखिम बन जाने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना ध्यान आर्थिक वृद्धि पर निरंतर संकेन्द्रित रखा है। आर्थिक वृद्धि में आई तीव्र मंदी ने मूल्यवृद्धियों को अंतरित करने के उत्पादकों के सामर्थ्य को घटा दिया है।" डॉ. गोकर्ण का यह भी कहना है कि नीति के सम्बन्ध में बैंक के दृष्टिकोण में बदलाव तिमाही-दर तिमाही नहीं आया। वे "वृद्धि और मुद्रास्फीति, दोनों की गतिशीलता के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोणों और वैश्विक जोखिमों एवं घरेलू जोखिमों के अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भों पर" आधारित थे। जनवरी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा था कि वृद्धि - मुद्रास्फीति के संतुलन में उसका झुकाव वृद्धि की ओर है। दिसम्बर तक के तीन महीनों में आर्थिक वृद्धि मंद हो कर 6.1% हो गई थी, जो तीन वर्षों में सबसे कमजोर वार्षिक गति है।

भारी सरकारी उधारों को पूरा करना एक चुनौती

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान के अनुसार अगले वित्त वर्ष में सरकार के 5.69 लाख करोड़ रुपये के सकल उधार कार्यक्रम में 60, 000 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है, जबकि बाज़ार से निवल उधार 4.70 लाख करोड़ रुपये होगा, जो 43,000 करोड़ रुपये अधिक है। इस बढ़े हुए उधार कार्यक्रम का प्रबन्धन करना एक चुनौती सिद्ध होगा, किन्तु हम अपनी ओर से निश्चित रूप से सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। बजट में अधिक सरकारी उधारों के सम्बन्ध में घोषणा के बाद बॉण्ड बाज़ार में घबराहट फैल गई। 16 मार्च 2012 को बंद होने के समय बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉण्डों पर प्रतिफल में 0.09आधार अंकों की बढ़ोत्तरी हो गई।

सहकारी बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि आसन्न

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस. करुप्पास्वामी ने कहा है कि सहकारी बैंकों के मामले में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं शीघ्र ही 15 लाख रुपये से बढ़ कर 3 करोड़ रुपये तक हो जाएंगी। पिछड़े इलाकों में बैंक स्थापित करने के लिए मानदंड उदार होंगे तथा बैंकिंग सुविधा सम्पन्न इलाकों में थोड़े से कठोर मानदंड होंगे। मौजूदा मानदंडों के तहत किसी सहकारी बैंक की स्थापना 15 लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी के साथ की जा सकती है। अब यह बढ़ा कर पिछड़े इलाकों में बैंकों के लिए 50 लाख रुपये और बैंकिंग की तैयार मूलभूत सुविधा वाले शहरी बैंको के मामले में 3 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।

बीमा

इर्डा 'अनाथ' जीवन बीमा पॉलिसियों के शोधन को युक्तिसंगत बनाएगा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के निर्देशों के अनुसार अब एजेन्टों द्वारा शोधन रोक दी गई पॉलिसियों अर्थात् 'अनाथ पॉलिसियों' का बीमाकर्ताओं द्वारा अन्य एजेन्टों को आबंटित करते हुए अच्छी तरह शोधन किया जाएगा। "स्थिति जैसी भी हो - पॉलिसी धारकों को एक एजेन्ट रखने के लाभ / सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आबंटन के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, ऐसे पॉलिसी आबंटित एजेन्टों, जो आबंटित पॉलिसियों का शोधन कर रहे हैं, के विवरण एकत्रित करने की कार्यविधि विकसित करनी चाहिए।, "

पण्य (जिंस) बाज़ार

भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों से स्वर्ण ऋण कम्पनियों की वृद्धि प्रभावित होगी

भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) का कहना है कि स्वर्ण ऋण कम्पनियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल ही के दिशानिर्देशों से आगामी कुछेक वर्षों में उक्त क्षेत्र की वृद्धि एवं लाभप्रदता में महत्वपूर्ण रूप से कमी आ जाएगी। व्यवसाय वृद्धि के 80% प्रतिवर्ष से घट कर 20-25% रह जाने की संभावना है तथा आस्ति पर प्रतिलाभ (RoA) के 4.5% के वर्तमान उच्च स्तर से घट कर 2.5-3% रह जाने की आशा है। हालांकि, दीर्घ अवधि में सोने की कीमतों में किसी प्रकार की तीव्र कमी को अवशोषित करने हेतु स्वर्ण ऋण कम्पनियों के सामर्थ्य में बढ़ोत्तरी द्वारा इन दिशानिर्देशों का कुल मिला कर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है जिससे आगे चल कर इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार होगा।

सूक्ष्मवित्त

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को राहत

सूक्ष्म वित्त संस्था क्षेत्र के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों तथा उनसे प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल, 2013 तक आस्थगित कर दिया है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को 180 दिनों अथवा उससे अधिक समय से अतिदेय समग्र ऋण किस्तों के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से 100% का प्रावधान करना होगा। अब तक सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऐसी ऋण रकमों, जिनके लिए चुकौती 180 दिनों से अधिक समय से प्राप्य हुआ करती थी, पर 10% का प्रावधान करती थीं। हालांकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को 1 अप्रैल, 2012 से विनियामक द्वारा अधिदिष्ट अन्य सभी दिशानिर्देशों को आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूरो क्षेत्र की विवशताएं भारतीय बैंकों पर दबाव निर्मित कर सकती हैं

आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में चेतावनी दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में निधीयन सम्बन्धी विवशताएं बैंकों एवं कारपोरेटों के लिए निधीयन की उपलब्धताऔर निधीयन लागत को प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से यूरो क्षेत्र में सॉवरेन जोखिम सम्बन्धी चिंताओं ने वर्ष के अधिकांश समय तक वित्तीय बाज़ारों को प्रभावित किया। ग्रीस के सॉवरेन ऋण समस्या का संक्रामक रोग अस्थिरता के

सामान्य की तुलना में उच्चतर स्तर के माध्यम से भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं तक फैल गया । जहां भारतीय बैंकों पर (प्रभावित यूरो क्षेत्र में उनके नगण्य ऋण जोखिम को देखते हुए) किसी प्रकार

का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सकता, वहीं निधीयन सम्बन्धी दबावों के कारण वे परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रमुख उत्साहित

वैश्विक अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन से सतर्कतापूर्ण उत्फुल्लता के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रमुख सुश्री क्रिस्टाइन लैगार्डे ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने हेतु किए गए उपायों के सुपरिणाम आने आरंभ हो गए हैं। वित्तीय बाज़ारों की स्थितियां अधिक सहज हैं तथा हाल के आर्थिक संकेतक कुछ अधिक उत्साहपूर्ण दिखाई देने लगे हैं। सुश्री लैगार्डे का कहना है कि विशेष रूप से यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और कुछेक यूरोपीय देशों द्वारा की गई कतिपय नीतिगत कार्रवाइयों से समग्र स्थिति को स्थिर बनाने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को कगार से वापस लाने में सहायता प्राप्त हुई है। इस बीच अमरीकी अर्थव्यवस्था अवनमित आवास क्षेत्र तथा अधिक बेरोज़गारी के बावजूद उपभोक्ता एवं व्यवसाय जगत के बेहतर खर्च करने तथा उत्कर्षित रोज़गार (नौकरी) बाज़ार के साथ पुन: स्वस्थ हो रही है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 862 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 294.82 बिलियन अमरीकी डालर

भारी गिरावट के बाद भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 862.4 मिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 16 मार्च को समाप्त सप्ताह में 294.821 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गईं। यह वृद्धि मुद्रा पुनर्मूल्यन के कारण हुई है।

अप्रैल 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.048 50	0.598	0.751	0.983	1.240
जीबीपी	1.86306	1.2504	1.3150	1.4676	1.6210
यूरो	1.38064	1.097	1.232	1.404	1.595
जापानी येन	0.55229	0.359	0.395	0.429	0.495
कनाडाई डालर	1.91600	1.386	1.528	1.682	1824
आस्ट्रेलियाई डालर	5.02600	4.003	4.073	4.293	4.398
स्विस फ्रैंक	0.39200	0.243	0.303	0.395	0.525
डैनिश क्रोन	1.58000	1.1875	1.3380	1.5065	1.6940
न्यूजीलैंड डालर	3.55400	3.073	3.305	3.545	3.763
स्वीडिश क्रोनर	2.86200	2.138	2.210	2.281	2.369

स्रोत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**23 मार्च 2012 के दिन**	**23 मार्च 2012 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियां	14, 970, 2	295,140.0
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,223. 4	259, 740.5
ख) सोना	1, 376, 6	28, 127.7
ग) विशेष आहरण अधिकार	226, 5	4, 448.5
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	143.7	2, 823.3

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नयी नियुक्तियां

- श्री डी. सरकार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री डी. नारंग को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
बैंक ऑफ बड़ौदा	बजाज ऑटो	समझौता ज्ञापन बैंक ऑफ बड़ौदा को बाजाज ऑटो द्वारा चार ईंधन विकल्पों , यथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीपीजी के तहत विनिर्मित वाहनों का वित्तीयन करने में अपने शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने में समर्थ बनाएगा।
दि करूर वैश्या बैंक	एसबीआई लाइफ इंश्योरंस	बैंक के आवास ऋण ग्राहकों को समूह बीमा के अधीन जीएमआरए पॉलिसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

अंतराष्ट्रीय निपटान बैंक के प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धांतों के सारांश प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम आपको अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के चिंतन की ओर ले चलते हैं। इससे पाठकों को उस सुंदर तर्क को समझने में सहायता प्राप्त होगी जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक बैंकिंग प्रणाली को गंभीर वित्तीय विप्लवों से सुरक्षित रखने में करता है।

1. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (समिति) ने प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए इन मुख्य सिद्धांतों को संशोधित किया है। अपनी समीक्षा करने में समिति ने बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए रोक लगाने के उद्देश्यों को (इन मुख्य सिद्धांतों के पिछली बार 2006 में संशोधित किए जाने के बाद से संकट और अन्य महत्वपूर्ण विनियामक घटनाओं से ली गई शिक्षा को शामिल करते हुए) मुख्य सिद्धांतों की सर्वव्यापी प्रयोज्यता एवं निरंतरता और तुलनीयता की जरूरत को बनाए रखने की

आवश्यकता के समक्ष संतुलित करने का प्रयास किया है। रोक लगाते हुए इन मुख्य सिद्धांतों की व्यावहारिक प्रयोज्यता से बैंकिंग पर्यवेक्षण में विश्वव्यापी सुधार आएगा।

2. संशोधित मुख्य सिद्धांत पर्यवेक्षकों, पर्यवेक्षण के प्रति दृष्टिकोणों तथा पर्यवेक्षकों के बैंकों से सम्बन्धित अपक्षाओं की आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाते हैं। इस उद्देश्य को कारगर जोखिम - आधारित पर्यवेक्षण तथा सामयिक पर्यवेक्षी कार्रवाइयों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पर्यवेक्षकों को बैंकों की जोखिम प्रोफाइल का आकलन जिनका वे सामना कर रहे है, उन जोखिमों, उनके जोखिम प्रबन्धन की प्रभावशीलता तथा उनके द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली के समक्ष उपस्थित किए जाने वाले जोखिमों के अनुसार करना चाहिए। यह जोखिम-आधारित प्रक्रिया उन पर्यवेक्षी

दायित्वों को लक्ष्यांकित करती है, जिनमें उनका उपयोग नियमों के अनुपालन के अकर्मक मूल्यांकन से परे जा कर परिणाम पर भी ध्यान केन्द्रित रखते हुए सर्वोत्तम प्रभाव के लिए किया जा सके।
3. इन मुख्य सिद्धांतों ने उन अधिकारों / शक्तियों को नियत किया जो पर्यवेक्षकों प्राप्त होने चाहिए, ताकि वे सुरक्षा और सुदृढ़ता से सम्बन्धित चिंताओं का निवारण कर सकें। यह समन रूप से कहत्वपूर्ण है कि पर्यवेक्षक इन अधिकारों / शक्तियों का प्रयोग तब करें जब कमजोरियों अथवा विसंगतियों की पहचान कर ली जाए। पर्यवेक्षण के प्रति समय-पूर्व हस्तक्षेप के माध्यम से दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाये जाने से किसी अभिज्ञात कमजोरी को सुरक्षा एवं सुदृढ़ता के लि खतरा बनने से रोका जा सकता है। यह विशेष रूप से अत्यधिक जटिल एवं बैंक विशिष्ट मुद्दों (यथा - चलनिधि जोखिम) के बारे में सही है, जहां प्रभावी पर्यवेक्षी कार्रवाइयों का निर्धारण आवश्यक रूप से किसी बैंक की व्यक्तिगत समस्याओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

4. इन मुख्य सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाने, पुनर्बलित करने और पुनर्केन्द्रित करने के अपने प्रयासों में समिति उनके अन्तर्निहित प्रयोजन एवं उपयोग के प्रति सर्वथा सजग रही है। समिति का आशय पर्यवेक्षी प्रथाओं को एक ऐसा निर्देश चिन्ह उपलब्ध कराने में इन मुख्य सिद्धांतों की निरंतर प्रासंगिकता को सुनिश्चित करना है, जो समय की कसौटी पर तथा बदलते परिदृश्य में खरा उतरे। यही कारण है कि मुख्य सिद्धांतों का यह संशोधन यथासंभव निरंतरता एवं तुलनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ववर्ती संस्करणों पर निर्मित है।

5. मुख्य सिद्धांतो की सर्वव्यापी प्रयोज्यता को स्वाकार करते हुए समिति अपनी समी3 बासेल परामर्शी दल के सदस्यों, जिसमें समिति के सदस्य और सदस्येतर, दोनों ही प्रकार के देशों तथा बैंकिंग पर्यवेक्षकों के क्षेत्रीय समूहों तथा उनके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश एवं विश्व बैंक का समावेश है, के गहन समन्वय में करती है। समिति ने मूल पाठ को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग और जनता से परामर्श किया।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

हामीदार समूह (syndicate)

निवेश बैंकों और दलाल-व्यापारियों का एक ऐसा अस्थायी समूह जो निवेशकों को नये इक्विटी प्रस्तावों अथवा ऋण प्रतिभूतियों को बेचने के लिए एक साथ आ मिलते हैं। हामीदार समूह का गठन एवं नेतृत्व अग्रणी हामीदार द्वारा प्रतिभूति निर्गम हेतु किया जाता है। हामीदार समूह सामान्यतया तब गठित किया जाता है जब कोई निर्गम किसी एक फर्म के संभालने की दृष्टि से अत्यधिक बड़ा हो। समूह को प्रतिपूर्ति हामीदारी के अंतर (spread) द्वारा की जाती है, जो निर्गम जारीकर्ता को प्रदत्त कीमत और निवेशकों तथा अन्य दलाल-व्यापारियों से प्राप्त कीमत के बीच अंतर होता है। इसके अलावा, इसे हामीदारी समूह, बैंकिंग समूह तथा निवेश बैंकिंग समूह भी कहा जाता है।

शब्दावली

परिपक्वता तक धारित

लेखांकन मानक यह आवश्यक बना देते हैं कि कम्पनियां किसी भी निवेश को जब वे खरीदे जाएं, तो उन्हें ऋण अथवा इक्विटी प्रतिभूति में वर्गीकृत करें। निवेशों को परिपक्वता तक धारित, व्यापार के लिए धारित अथवा बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित प्रतिभूति एक ऐसी ऋण अथवा इक्विटी प्रतिभूति होती है, जिसे निवेश को परिपक्वता तक धारित करने के आशय से खरीदा जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इस प्रकार की प्रतिभूति को लागत पर दर्शाया जाता है तथा यह आम तौर पर एक विशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूति के रूप में होती है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण गतिविधियां

सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर संगोष्ठी

संस्थान 17 वीं अप्रैल, 2012 को आईआईबीएफ, कारपोरेट कार्यालय, कुर्ला, मुंबई में सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर एक अन्त:क्रियाशील कार्यशाला का संचालन करेगा।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर संगोष्ठी

संस्थान 21 वीं अप्रैल, 2012 को आईआईबीएफ, कारपोरेट कार्यालय, कुर्ला, मुंबई में भारतीय कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केन्द्र (ICCSR) के सहयोग से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक कार्यशाला का संचालन करेगा।

लीडरशिप कार्यक्रम :

संस्थान ने पर्सनल डिसीजन्स इंटरनेशनल ( ), नाइन्थ हाउस के सहयोग से 26वीं अप्रैल से 28वीं अप्रैल 2012 तक एक 3 दिवसीय लीडरशिप डेवलपमें प्रोग्राम की घोषणा की है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in. देखें।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम :

संस्थान ने 3 मई से 5 मई 2012 तक वित्तीय समावेशन पर एक 3 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। इनके लिए सदस्यों का सूचीकरन हेतु इन संपर्क कक्षाओं के कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in. देखें।

जेएआईआईबी / डीबीऐण्ड एफ और सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए वेब कक्षाएं और ई-शिक्षण

संस्थान जेएआईआईबी / डीबीऐण्ड एफ और सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए वेब कक्षाओं और ई-शिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

जेएआईआईबी / डीबीऐण्ड एफ और सीएआईआईबी के लिए छद्म परीक्षा

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीऐण्ड एफ और सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए छद्म परीक्षा की शुरूआत की है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in. देखें।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी :

हम सभी सदस्यों से संस्थान के रिकार्डों में ई-मेल आईडी को प्राथमिकता के साथ अद्यतन करने का अनुरोध करते हैं, ताकि हम वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेज सकें।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

9.40
9.20
9.00
8.80
9.60
8.40
8.20
8.00

01/03/12 02/03/11 05/03/12 06/03/12 10/03/12 12/03/12 13/03/12 15/03/12
16/03/12 17/03/12 19/03/12 22/03/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- तीसरे सप्ताह में मांग मुद्रा बाज़ार में दरों के पुनर्खरीद (रेपो) दरों से अधिक और व्यापार के लगभग 9% रहने के परिणामस्वरूप स्थिति कठिन बनी रही।
- बैंक एक-दिवसीय मुद्रा बाज़ार में भारी मात्रा में उधार ले रहे हैं, जिससे मांग मुद्रा दरें बढ़ कर 9.5% यद्यपि 10% से कम रहीं।
- तुलन पत्र निर्माण के वर्षांत वाले दबावों के कारण माह के अंतिम दिन मांग मुद्रा बाज़ारों में दरें बढ़ कर 15% हो गईं, जो तीन वर्षों में सर्वोच्च स्तर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

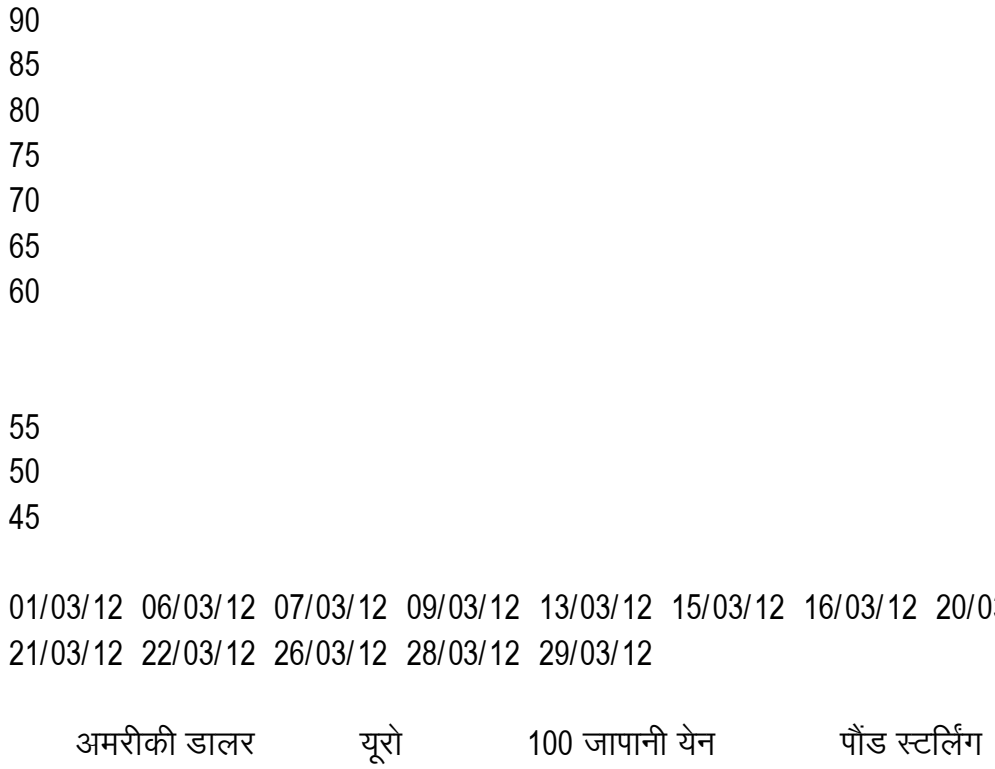

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- डालर की मज़बूत मांग, कमजोर इक्विटियों तथा निवेशकों में जोखिम के प्रति विरुचि के कारण रुपया गिर कर जनवरी वाले स्तर पर आ गया। 6ठी को रुपया 50.37 पर बंद हुआ।
- माह के अंत में डालर के मुकाबले रुपया 50.79 पर बंद हुआ, जो 7 पैसे गिर गया। रुपया गिर कर दो माह पहले वाले स्तर पर आ गया, क्योंकि लगभग एक वर्ष के बाद बढ़े अमरीकी उपभोक्ताओं के विश्वास के सहारे स्थानीय इक्विटियों में वापसी के बीच डालर की मांग बढ़ गई।
- 29वीं को डालर के मुकाबले रुपया 51.39 / 40 पर बंद हुआ, जो 28वीं के 50.775 / 785 वाले बंद के स्तर से 1.2% कम था। यह दिसम्बर 02 के बाद एक सत्र में सर्वाधिक तीव्र गिरावट रही। ऐसा तेल आयातकों से डालर की निरंतर मांग की पृष्ठभूमि में हुआ, जबकि नकारात्मक स्थानीय शेयरों ने विदेशी निधियों के बहिर्वाह से सम्बन्धित चिंताएं बढ़ा दीं।
- विशेषज्ञों के अनुसार किसी महत्वपूर्ण नकारात्मक समाचार के अभाव में अप्रैल के पहले सप्ताह में डालर के समक्ष रुपये के 50.40-51.20 की श्रेणी में खरीदे-बेचे की संभावना है।
- माह के दौरान सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के मुकाबले रुपये में मूल्यह्रास हुआ, जो अमरीकी डालर के समक्ष 4%, यूरो और स्टर्लिंग पौंड के समक्ष - तथा जापानी येन के समक्ष 2% रहा।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18000
17800
17600
17400
17200
17000

01/03/12 07/03/12 09/03/12 13/03/12 14/03/12 15/03/12 16/03/12 19/03/12 20/03/12 21/03/12 22/03/12 26/03/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.